

BCC:ISD:115:16:121 09th June 2023

The Vice-President, B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai - 400 001 BSE CODE: 532134 The Vice-President, National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051 NSE CODE: BANKBARODA

Dear Sir/ Madam,

Re: Bank of Baroda -27th Annual General Meeting (AGM)

We advise that, Bank is convening 27th Annual General Meeting of the shareholders of our Bank as per details given below:

1	Date/ Time	Friday, 07 th July 2023 at 11:00 a.m.			
2	Mode	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)			
3	Agenda/ Business	 ORDINARY BUSINESS To approve the financial results of the Bank for the year ended 31st March, 2023. To approve and declare dividend for the FY2022-23. SPECIAL BUSINESS To consider and approve re-appointment of Shri Sanjiv Chadha, as the Managing Director & CEO of the Bank. To consider and approve appointment of Shri Lalit Tyagi, as an Executive Director of the Bank. To consider and approve appointment of Shri Mukesh Kumar Bansal, as a Non-Executive Director of the Bank. To consider and approve appointment of Shri Debadatta Chand, as the Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank. 			
4	Book Closure	01st July 2023 to 07th July 2023 (both days inclusive)			
5	Cut-off date	30 th June 2023 (To attend the AGM & vote through remote e-Voting/voting at the AGM and Paymer of Dividend.)			
6	Dividend Recommended	Rs. 5.50 per equity shares of FV of Rs.2 each			
7	Remote E-Voting From 9.00 a.m. on 04.07.2023 up to 5.00 p.m. on 06.07.2023				

We also annex a copy of 27th AGM Notice.

We request you to take notice under SEBI (LODR) Regulations, 2015 and upload the information on your website.

Yours faithfully,

P K Agarwal Company Secretary



27वीं वार्षिक आम बैठक हेत् नोटिस

बैंक ऑफ बडौदा

प्रधान कार्यालय : अलकापुरी, बड़ौदा - 390007

कॉर्पोरेट कार्यालय: बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, ''जी'' ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

(वेबसाइट:www.bankofbaroda.in)

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यवाही के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 27वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से शुक्रवार, दिनांक 07 जुलाई, 2023 को पूर्वाहन 11.00 बजे किया जाएगा:

सामान्य कार्यवाही:

मद संख्या 1:

बैंक के 31 मार्च, 2023 के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के लिए बैंक के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, अनुमोदन प्रदान करना व इन्हें स्वीकार करना।

मद सं. 2:

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश को अनुमोदित और घोषित करना।

विशेष कार्यवाही:

मद संख्या 3:

एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना और इसे पारित करना

"यह संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित, के विनियम 17 (1 सी) के अनुसरण में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ. ईएफ. नं. 4/4/2021-बीओ.आई दिनांक 16 जनवरी, 2023 के माध्यम से दिनांक 20 जनवरी 2023 से उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 30 जून, 2023 तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री संजीव चड्ढा की पुन: नियुक्ति को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

मद संख्या 4:

एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना और इसे पारित करना

"यह संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित, के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना ईएफ. नं. 4/6/2021-बीओ.आई दिनांक 21 नवंबर, 2022 के माध्यम से 21 नवंबर, 2022 से 20 नवंबर, 2025 तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री ललित त्यागी की नियुक्ति को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

मद संख्या 5:

एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना और इसे पारित करना

''यह संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित, के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के तहत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना ईएफ. नं. 6/2/2022-बीओ. आई दिनांक 15 दिसंबर, 2022 के माध्यम से 15 दिसंबर, 2022 से अगले आदेशों तक गैर कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री मुकेश कुमार बंसल की नियुक्ति को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।''

मद संख्या 6:

एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना और इसे पारित करना

"यह संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित, के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29 अप्रैल, 2023 के माध्यम से 01 जुलाई 2023 को कार्य ग्रहण करने की तारीख या उसके बाद या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्री संजीव चड्ढा के स्थान पर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री देबदत्त चाँद की नियुक्ति को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

2 de - 15, 4.

संजीव चड्ढा

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई

दिनांक : 29 मई 2023

नोटः

- 1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक
- एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने मई 2020 से जारी विभिन्न परिपत्रों और दिनांक 05 मई, 2022 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 तथा परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के माध्यम से कंपनियों को वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर, 2023 तक अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्रों के अनुरूप सेबी



ने भी अपने परिपत्र दिनांक 05 जनवरी, 2023 के माध्यम से सूचीबद्ध संस्थाओं को छूट प्रदान की है।

 उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जा रहा है। 27 वीं एजीएम के आयोजन का स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय, वडोदरा माना जाएगा।

2. प्रॉक्सी और प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) की नियुक्ति:

चूंकि बैठक वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः इस एजीएम में शेयरधारकों के लिए बैठक में सहभागिता करने तथा वोट देने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

हालांकि, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी/ संस्था के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने सबंधी संकल्प की एक प्रति, संबंधित बैठक जिसमें इसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के रूप में सत्यापित कर यह v-raju.sv@kfintech.com;/companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 02 जुलाई, 2023 को सायं 4.00 बजे अथवा इससे पहले नहीं भेज दी जाती है।

3. एजीएम प्रतिभागिता

बैंक ने कैफिन टक्नॉलॉजी लिमिटेड (KFIN), रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीए) को वार्षिक आम बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने तथा एजीएम के आयोजन के लिए एटेंडेंट इनेब्लर्स हेतु नियुक्त किया है।

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार:

- ए) शेयरधारक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट करने के लिए उन्हें उपलब्ध कराई गई लॉगिन क्रेडेंशियल के जिरए बैठक में भाग ले सकते हैं। बैठक स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।
- बी) शेयरधारक की ओर से उपस्थित होने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- सी) निकाय कॉर्पोरट्स वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और भाग लेने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के लिए पात्र हैं।
- शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के 15 मिनट पहले एजीएम में शामिल हो सकते हैं। एजीएम में फीफो (FIFO) आधार पर 1000 तक शेयरधारक भाग ले सकते हैं।
- बड़े शेयरधारकों (2% या उससे अधिक की शेयरधारिता वाले शेयरधारकों), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्षों, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंधी समिति, लेखापरीक्षकों आदि के संबंध में एजीएम में फीफो आधार पर प्रवेश के कारण कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

- एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों (शेयरधारकों के लॉगिन) की गिनती बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।
- एजीएम आयोजन संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट www. bankofbaroda.in पर अपलोड किया गया है। नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia. com और www.nseindia.com पर भी एक्सेस किया जा सकता है और यह ई-वोटिंग एजेंसी केएफएन (KFin) की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर भी उपलब्ध है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश:

- शेयरधारक को कैफ़िन (KFin) द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक इसे https://emeetings.kfintech.com/ पर रिमोट ईवोटिंग क्रेडेंशियल्स का प्रयोग करते हुए "AGM-Video Conference & Streaming" के आइकॉन पर क्लिक कर एक्सेस कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद, शेयरधारकों को संबंधित कार्यक्रम और बैंक का नाम चुनना होगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम/ फायरफॉक्स के साथ लैपटॉप /स्मार्ट फोन के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए आग्रह किया जाता है।
- साथ ही, ऐसे शेयरधारक जो बैठक में बोलना चाहते हैं उन्हें कैमरा को ऑन (ऑन रखने की अनुमित) रखना होगा और अच्छी स्पीड वाली इंटरनेट सेवा का उपयोग करना होगा तािक बैठक के दौरान किसी तरह के व्यवधान से बचा जा सके। शेयरधारक पहले भी उसी पोर्टल में 'स्पीकर रिजस्ट्रेशन' के तहत उपलब्ध कराये गए विकल्प के माध्यम से अपने वीडियों को रिकॉर्ड और अपलोड कर सकते हैं।
- कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़े लैपटॉप के माध्यम से शामिल सदस्यों को उनके अपने नेटवर्क में अप-डाउन के चलते ऑडियो/ वीडियो में खराबी (बंद/ रुक-रुक कर आने) की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अतः उपर्युक्त समस्याओं से बचने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें।
- कृपया नोट करें कि शेयरधारकों की समस्या/ विचार/ प्रश्नों का जवाब केवल तभी दिया जाएगा जब शेयरधारक के पास कट ऑफ तारीख अर्थात् 30 जून, 2023 तक शेयर धारित हों। 'एजीएम प्रश्न संबंधी' विंडो 04 जुलाई, 2023 प्रातः 10:00 से 05 जुलाई, 2023 सायं 05:00 बजे तक खुली रहेगी।
- वार्षिक आम बैठक में बोलने और प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारकों को https://evoting.kfintech.com/ पर लॉग-इन करना होगा और ''रपीकर रजिस्ट्रेशन" पर क्लिक कर अपना डीमैट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, शहर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना होगा। स्क्रीन पर एक संदर्भ संख्या प्रदर्शित



होगी जिसे एजीएम में प्रश्न एवं उत्तर सत्र के दौरान रिकॉल करने के लिए रखा जाना चाहिए। ऐसे शेयरधारकों, जिन्होंने 04 जुलाई, 2023 से 05 जुलाई, 2023 की अविध के दौरान अपने आप को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही अपने विचार रखने /प्रश्न पृष्ठने की अनुमति दी जाएगी।

ऐसे शेयरधारक जो विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लेने
में असमर्थ हैं वे एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट अपने रिमोट
ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करते हुए केफिटेक की ई-वोटिंग
वेबसाइट https://emeetings.kfintech.com/ पर लॉगिन कर देख
सकते हैं।

5. मतदान का अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार से इतर प्रतिनिधि नये बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में **बैंक के सभी** शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

बेंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयरों एवं बैठकें) विनियमन,1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के लिए रिजस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम अंकित व्यक्ति ही एजीएम बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम बैठक में वोटिंग, यदि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है, कार्यसूची पर मत देने का पात्र होगा।

एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग विनिर्दिष्ट तारीख़ -शेयरधारकों के रिजस्टर की बंदी:

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 42 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयर और बैठकें) संशोधन विनियमन, 2008 के विनियम 12 के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 1 जुलाई, 2023 से शुक्रवार, 7 जुलाई, 2023 तक (दोनों दिन सहित) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 27वीं वार्षिक आम बैठक और लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से बंद रहेगा। तदनुसार, वे शेयरधारक जिनके पास शुक्रवार, 30 जून, 2023 (विनिर्दिष्ट तारीख) को बैंक के शेयर हैं, वे एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग के माध्यम से भाग लेने एवं बैठक की कार्यसूची पर मतदान करने में सक्षम होंगे तथा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए भी पात्र होंगे।

लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 16 मई, 2023 को संपन्न अपनी बैठक में दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए पूर्णतः प्रदत्त प्रति रु 2/- के इक्विटी शेयर पर रु. 5.50/- (पांच रुपये पचास पैसे मात्र) की दर से लाभांश की अनुशंसा की है। निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित और 27 वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित लाभांश का भृगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

- ए) दिनांक 30 जून, 2023 को व्यावसायिक कार्यसमय की समाप्ति तक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा यथा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभार्थी स्वामी को;
- बी) दिनांक 30 जून, 2023 को व्यावसायिक कार्यसमय की समाप्ति पर या उससे पहले बैंक/ बैंक के आरटीए के पास दर्ज किए गए ट्रांसफर अनुरोधों के संबंध में वैध ट्रांसफर को प्रभावी करने के बाद भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को;
- सी) ये लाभांश 27वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर पात्र शेयरधारकों को वितरित किए जाएंगे।
- डी) आयकर दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश भुगतान पर लागू कर की कटौती की जाएगी।

8. रिमोट ई-वोटिंग

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, शेयरधारकों को बैठक के नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

- ए. बैंक ने ई-वोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु केफिन को रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।
- बी. रिमोट ई-वोटिंग हेतु पोर्टल मंगलवार, 04 जुलाई, 2023 को सुबह 9.00 बजे से बृहस्पतिवार, 06 जुलाई, 2023 को शाम 5.00 बजे तक पूरे समय खुला रहेगा (दोनों दिन सहित)।

सी. रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

इस निर्दिष्ट तारीख अर्थात् शुक्रवार, 30 जून, 2023 को मूर्त या अमूर्त (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक का शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे।

- डी. आरटीए पोर्टल के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के अनुदेश (डीमैट और भौतिक शेयरधारकों के लिए) निम्नानुसार हैं:-
- i. जो शेयरधारक उपर्युक्त कट-ऑफ डेट को वोट देने हेतु पात्र हैं, ई-वोटिंग के लिए **04 जुलाई, 2023** को सुबह 9 बजे पोर्टल खुलने पर निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें: https://evoting.kfintech.com
- लॉग-इन क्रेडेंसियल अर्थात् नोटिस के साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्ट करें।
- iii. उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग-इन पर क्लिक करें।
- iv. आप 'पासवर्ड बदले' मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यतः अपना पासवर्ड बदलना होगा। नए पासवर्ड में एक अपर केस (A से Z), एक लोअर केस (a से z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे। सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने तथा किसी भी संपर्क विवरण जैसे मोबाइल, ई- मेल आदि को अद्यतन करने हेतु कहेगा। आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुनः प्राप्त करने हेतु अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं। यह दृढतापूर्वक सिफारिश



की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और इसे गोपनीय रखने हेत् अत्यंत सावधानी बरतें।

- v. आपको नए क्रेडेंसियल से पुनः लॉग-इन करना होगा।
- vi. सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको EVEN अर्थात् बैंक ऑफ़ बड़ौदा का चयन करने हेतु निर्देश देगा। वोटिंग पृष्ठ पर, निर्दिष्ट तारीख (30 जून, 2023) को शेयरधारक द्वारा यथा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी। ASSENT अथवा DISSENT पर क्लिक करके शेयरधारक (कों) के पास टॉप पर सभी विनियमन के लिए एक बार में ही वोट करने का विकल्प होगा। वैकल्पिक तौर पर आप प्रत्येक संकल्प के लिए ASSENT अथवा DISSENT पर क्लिक करके प्रत्येक संकल्प के लिए वैयक्तिक रूप से अलग-अलग वोट कर सकते हैं। पृष्टि करने हेतु "OK"पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पृष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते। वोटिंग अविध के दौरान, शेयरधारक संकल्प पर वोट देने के पूर्व कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है।
- vii. एक से अधिक फोलियो/ डीमैट खाता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करना होगा। तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अनुसार, भारत सरकार से इतर किसी भी शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
- viii. उपर्युक्त अनुसार पोर्टल बंद हो जाएगा और बंद होने पर यह सुविधा तत्काल समाप्त हो जाएगी.
- ix. बैंक ने मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणयन एंड कं., कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
- x. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि से इतर) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सहित संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप) प्रति scrutinizer@snaco.net पर ई- मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजना

अपेक्षित है।

- xi. ऐसे शेयरधारक, जो 27वीं एजीएम के लिए नोटिस/ वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के प्रेषण हेतु कट-ऑफ-डेट एवं ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ-डेट के बीच शेयर अर्जित करते हैं तथा अपना ई-मेल आईडी अपने संबंधित डीपी के पास रिजस्टर किया है, उन्हें इस संबंध में आरटीए के माध्यम से सूचना दी जाएगी। ऐसे अन्य शेयरधारक विवरण प्राप्त करने हेतु बैंक की वेबसाइट देखें।
- xii. इस संबंध में किसी भी प्रश्न की स्थिति में आप https://evoting.karvy.com पर डाउनलोड खंड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल का अवलोकन कर सकते हैं अथवा केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड (यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32 गाचीबोवली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद- 500 032 के श्री एस वी राजू, डीवीपी/श्री शैबल हरिपद रॉय-एवीपी से ईमेल v-raju.sv@kfintech.com/shaibal.roy@kfintech.com/ एवं दूरभाष संख्या 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि:

 केवल डीमैट में प्रतिभूति धारित करने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए लागू

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ संचालित अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमित है। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा को एक्सेस करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अद्यतन करें।

वैयक्तिक सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूति धारित करने वाले) डिपॉजिटरी के माध्यम से लॉगिन करें

डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए लॉगिन प्रक्रिया निम्नानुसार है:

एनएसडीएल सीडीएसएल

- 1. आईडीएएस सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता:
- I. युआरएल: https://eservices.nsdl.com
- II. "आइडीईएएस" खंड के अंतर्गत ''Beneficial Owner'' आइकन पर क्लिक करें।
- III. नए पेज पर यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद "Access to e-Voting" पर क्लिक करें।
- IV. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट किया जाएगा।
- 1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/ Easiest के विकल्प का चयन किया है
- l. यूआरएल: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या यूआरएल: www.cdslindia.com
- ॥. न्यू सिस्टम मायसी पर क्लिक करें।
- III. यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें।
- IV. बिना किसी अन्य प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुँचने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- अपना वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें।





एनएसडीएल	सीडीएसएल		
2. ऐसे उपयोगकर्ता जो आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है	2. ऐसे उपयोगकर्ता जो Easi/ Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है.		
I. पंजीकृत करने के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.	l. पंजीकृत करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/ Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है।		
II. ''Register Online for IDeAS'' चुनें।	II. अपेक्षित फील्ड को पूरा करते हुए आगे बढ़ें।		
III. अपेक्षित फ़ील्ड को पूरा करते हुए आगे बढ़ें। ऐसे उपयोगकर्ता जो आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है			
I. पंजीकृत करने के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.			
com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp ॥. अपेक्षित फ़ील्ड को पूरा करते हुए आगे बढ़ें।			
3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट देखें	3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट देखें		
I. यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/	I. यूआरएल: <u>www.cdslindia.com</u>		
II. "Shareholder/ Member" खंड के अंतर्गत उपलब्ध आइकन "login" पर	II. डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर दर्ज करें।		
क्लिक करें।	III. सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता		
III. स्क्रीन पर यथा प्रदर्शित उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के पास	को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है।		
धारित 16 अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करें।	IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जहां ई-वोटिंग प्रक्रियाधीन है।		
IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं।			
V. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रिडाइरेक्ट किया जाएगा।			

वैयक्तिक सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले) का अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से लॉगिन

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें और सफल अधिप्रमाणन के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर रिडाइरेक्ट किया जाएगा। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अविध के दौरान अपना वोट डालने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रिडाइरेक्ट किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट:

ऐसे सदस्य, जो अपना यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी भूल गए/ पासवर्ड भूल गए के विकल्प का उपयोग करें।

सामना कर रह सदस्य - एनएसडाएल			
लॉगिन के दौरान किसी प्रकार की			
तकनीकी समस्या का सामना कर			
रहे सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क			
evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध			
भेजकर या 1800 1020 990 तथा			
1800 22 44 30 पर कॉल कर संपर्क			
कर सकते हैं।			

किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का

याप्रजा कर रहे यहका - प्रजासहीपञ

किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य - सीडीएसएल

लॉगिन के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क helpdesk.evoting@cdslindia. com पर अनुरोध भेज कर या 022-23058738 और 22-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।

गैर-वैयक्तिक सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए लागू

गैर-वैयक्तिक सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों हेतु लॉगिन करने की विधि निम्नानुसार है:

रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और अनुदेश निम्नानुसार हैं:

- ए. प्रारंभिक पासवर्ड ईमेल में दिया गया है।
- बी. इंटरनेट ब्राउज़र खोलें और एड्रेस बार में URL: https://evoting.kfintech.com टाइप करें
- सी. आपके ईमेल में उल्लिखित लॉगिन क्रेडेंशियल यानी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। आपका फोलियो नंबर/डीपी आईडी क्लाइंट आईडी आपकी यूजर आईडी होगी। हालांकि, यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए केफिन के साथ पंजीकृत हैं, तो वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।
- डी. उचित रूप से विवरण दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
- ई. आप पासवर्ड चेंज मेनू पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (A-Z), एक संख्यात्मक मान (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर (@,#,\$ आदि) के साथ न्यूनतम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। यह दृढ़तापूर्वक से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।



- एफ. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ फिर से लॉगिन करना होगा।
- जी. सफलतापूर्वक लॉगिन पर, सिस्टम आपको EVENT यानी बैंक ऑफ़ बडौदा का चयन करने के लिए कहेगा।
- एच. वोटिंग पेज पर, विनिर्दिष्ट तारीख को आपके द्वारा धारित शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाएगी) दिखाई देगी। यदि आप संकल्प हेतु सहमित/ असहमित सभी के लिए वोट देना चाहते हैं तो सभी शेयर दर्ज करें और 'For'/'Against' जैसा भी मामला हो अथवा आंशिक रूप से 'For' और आंशिक रूप से 'Against' पर क्लिक करें, किन्तु 'For' और/या 'Against' को मिलाकर कुल संख्या विनिर्दिष्ट तारीख को आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप 'ABSTAIN' विकल्प भी चुन सकते हैं और इन धारित शेयरों की गणना किसी भी शीर्ष के अंतर्गत नहीं की जाएगी।
- आई. कई फोलियो/ डीमैट खाते रखने वाले सदस्य प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे।
- जे. किसी उपयुक्त विकल्प का चयन करके अपना वोट दें और 'SUBMIT' पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स दिखाई देगा। पुष्टि करने के लिए 'Ok' पर क्लिक करें, अन्यथा संशोधित करने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद, आपको बाद में अपना वोट संशोधित करने की अनुमित नहीं दी जाएगी। मतदान अविध के दौरान, जब तक कि आपने यह पुष्टि नहीं की है कि आपने संकल्प के लिए मतदान किया है, आप कई बार लॉगिन कर सकते हैं।
- के. कॉर्पोरेट/ संस्थागत सदस्यों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि से इतर) से यह अपेक्षित है कि वे विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) जो वोट देने के लिए प्राधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित संबंधित बोर्ड के संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की प्रमाणित मूल प्रति की स्कैन प्रति (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप) संवीक्षक को ईमेल के माध्यम से scrutnizer@snaco.net पर प्रेषित करें और इसे अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉडयूल में भी अपलोड कर सकते हैं।

9. वार्षिक आम बैठक में मतदान प्रक्रिया

कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में वोटिंग के माध्यम से होगी। जो रिमोट ई-वोटिंग के विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे बैठक की तारीख को एजीएम में आयोजित की जाने वाली वोटिंग में अपना वोट देने हेतु पात्र होंगे।

10. रिमोट ई-वोटिंग/ बैठक में वोटिंग के संवीक्षक

मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव बैठक की कार्यसूची की सभी मदों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

11. रिमोट ई-वोटिंग और बैठक में वोटिंग के परिणाम

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग के समेकित परिणामों की घोषणा दो कार्य दिवसों के भीतर या बैठक के अंत में की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और केफिन की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

12. पते में परिवर्तन/ लाभांश अधिदेश

 (ए) बैंक नोटिस भेजने/ पत्राचार के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए पते के विवरणों का उपयोग करेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत उनका पता संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के पास अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि उसे तत्काल अद्यतन किया जा सके। बैंक या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट पते में किसी भी बदलाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन केवल शेयरधारकों के डिपॉजिटरी सहभागी को सूचित किया जाना चाहिए।

- बी) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में परिवर्तन हो तो इसकी सूचना वैध दस्तावेजी साक्ष्य और विधिवत हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को दी जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को अपने पते में किसी भी प्रकार के बदलाव को केवल संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के पास रजिस्टर करना चाहिए न कि बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास।
- सी) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना संबंधित डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें।

13. भौतिक शेयरधारकों द्वारा पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाते का विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत किया जाना

सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरए सडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/ 2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023 के माध्यम से निम्नलिखित सूचना दी है:

- 1. सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि अपने संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण एवं नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें।
- दिनांक 01 अक्तूबर, 2023 को या उसके बाद जिन फोलियो में उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज/ विवरण उपलब्ध नहीं होगा, उसे आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।
- 3. जिन प्रतिभूति धारकों के फोलियो को फ्रीज कर दिया गया है, वे (1) उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित संपूर्ण दस्तावेज/ विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से कोई सेवा अनुरोध प्राप्त करने या शिकायत दर्ज करने के लिए पात्र होंगे। (2) दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से ऐसे फ्रीज किए गए फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित कोई भी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।
- फ्रीज िकए हुए फोलियो, यदि वे दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रीज रहते हैं, को आरटीए/ बैंक द्वारा बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 एवं/ अथवा धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासनिक प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा।



14. शेयरधारकों के लिए संपर्क विवरण

इस संप्रेषण के संबंध में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों / लाभांश संबंधी किसी भी मामले या अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण / सहायता के लिए आप निम्निलिखित पते पर हमसे / आरटीए से संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने संप्रेषण में अपने फोलियो नंबर / टेलीफोन नंबर / मोबाइल नं / ईमेल पते का उल्लेख करें)

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,

(यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा), सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट 31 एवं 32, फाइनांशियल डिस्ट्रक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेडडी, तेलंगाना,

भारत - 500 032.

ई-मेल: einward.ris@kfintech.com टोल फ्री/फोन नंबर: 1800-309-4001 व्हाट्सएप नंबर: (91) 9100094099

केप्रिज्म (मोबाइल एप्लिकेशन): https://kprism.kfintech.com/ केफिनटेक कॉर्पोरेट वेबसाइट: https://www.kfintech.com

आरटीए वेबसाइट: https://ris.kfintech.com

निवेशक सहायता केंद्र (डीआईवाई लिंक): https://ris.kfintech.com/

clientservices/isc

बैंक ऑफ़् बड़ौदा,

निवेशक सेवाएं विभाग,

7 वां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर,

सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बांद्रा (ईस्ट) मुंबई - 400 051.

टेलीफोन: 022 - 66985731/5743,

सामान्य नंबर : 022-6698 5000-04 (पीबीएक्स) ई-मेल: investorservices@bankofbaroda.com

बैंक की वेबसाइट पर शेयरधारक का खंड https://www.bankofbaroda.in/

shareholders-corner/

15. भौतिक शेयरों का अभौतिकीकरण - एक विशेष अनुरोधः

- 1. सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन के मामले को छोड़कर 01.04.2019 से प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोध तब तक प्रोसेस नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे किसी डिपॉजिटरी के पास डिमैट रूप में न हों, अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे तुरंत अपने भौतिक शेयरों को डिमैट करवा लें।
- 2. सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 40(1) के अनुसार 1 अप्रैल, 2019 से भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के अंतरण को बंद कर दिया गया है। तदनुसार शेयरों का अंतरण तभी किया जा सकता है, जब शेयर डीमैट रूप में रखे गए हों।
- 3. इसके अलावा, सेबी ने पिरपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी-आरटीएएमबी/पी/ सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से निर्णय लिया कि सूचीबद्ध कंपनियां डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र, ट्रांसिमशन, ट्रांसपोजिशन आदि जारी करने के अनुरोधों को प्रोसेस करते समय केवल डीमैट रूप में ही प्रतिभूतियां जारी करेंगी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम बैंक के उन सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं, जिन्होंने शेयरों को भौतिक रूप में रखा है, कृपया अपने शेयरों को भौतिक से अभौतिक रूप में परिवर्तन करा लें।

शेयरों को डीमैट रूप में रखने के मुख्य लाभ निम्नानुसार हैं:

- भौतिक शेयर प्रमाण पत्र के गुम होने या क्षित की संभावना समाप्त हो जाती है;
- शेयर प्रमाणपत्रों के फटने या धोखाधड़ी या कटने-फटने की संभावना समाप्त हो जाती है;
- iii. अभौतिकीकरण शेयरों की पेपरलेस ट्रेडिंग की सुगम और आसान सुविधा प्रदान करता है। एक बार डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के पास

डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर खरीद या बेच सकते हैं।

16. भौतिक रूप में शेयरों के अभौतिकीकरण की प्रक्रिया:

मौजूदा शेयर प्रमाणपत्र के विवरणों में कोई परिर्वतन न होने की स्थिति में अभौतिकीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

ए. उन शेयरधारकों के लिए जिनके पास डीमैट खाता नहीं है:

शेयरधारक(कों) को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की नजदीकी शाखा या किसी अन्य डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से संपर्क करना होगा एवं उसी नाम तथा स्वरूप में डीमैट खाता खोलना होगा, जिसमें शेयरधारक बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयर धारित करता है।

डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक (कों) को डीपी को विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) के साथ मूल शेयर प्रमाण पत्र (त्रों) प्रस्तुत करना होगा, जो उसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए डीआरएफ की जांच/ सत्यापन करेगा और सही पाये जाने पर शेयरधारक (कों) के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा कर दिए जाएंगे।

बी. पहले से डीमैट खाता रखने वाले शेयरधारकों के लिए:

शेयरधारक (कों) जिनके पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह जांचने की आवश्यकता होगी कि क्या मौजूदा डीमैट खाता बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयरधारिता के अनुरूप उसी नाम और स्वरूप में है। यदि हां, तो शेयरधारक (कों) को मूल शेयर प्रमाणपत्र के साथ विधिवत रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षरित डीआरएफ, डीपी को प्रस्तुत करना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए डीआरएफ की जांच/ सत्यापन करेगा और, यदि सही पाया जाता है, तो शेयरधारक(कों) के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा किए जाएंगे।



यदि मौजूदा डीमैट खाते में तदनुरूप नाम नहीं है, तो शेयरधारक (कों) को मार्गदर्शन के लिए अपने डीपी से संपर्क करना चाहिए।

मौजूदा शेयर प्रमाणपत्रों के विवरणों में परिवर्तन की स्थिति में, कृपया बिंदु संख्या 14 में उल्लिखित पते पर हमारे आरटीए अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से संपर्क करें।

17. आईईपीएफ को अदावी लाभांश/ शेयरों का अंतरण

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी और उसके अनुवर्ती संशोधन ("नियमावली") के अनुसार, सभी अदावी लाभांशों को बैंक द्वारा अदत्त लाभांश खाते में ट्रांसफर की तारीख से सात साल की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में ट्रांसफर करना आवश्यक है। इसके अलावा, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ सं.13/2/2015-बीओ.II दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के साथ पठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 (6) के अनुसार ऐसे सभी शेयर, जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए अदत्त/ अदावी रहा है और आईईपीएफ को ट्रांसफर किया गया है. भी आईईपीएफ में टांसफर के लिए पात्र हैं।

इसके अनुपालन में बैंक को ऐसे शेयरधारक (कों), जिन्होंने पिछले सात वर्षों या उससे अधिक समय से आईईपीएफ को लाभांश का दावा नहीं किया है, अदावी शेयरों को आईईपीएफ को ट्रांसफर करना होगा। बैंक पहले ही वित्त वर्ष 2013-14 तक के अदावी लाभांश को आईईपीएफ को ट्रांसफर कर चुका है।

शेयरधारकों के अदावी लाभांश के विवरण बैंक की वेबसाइट https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx पर उपलब्ध हैं।

हम उन शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करके अपने अदत्त लाभांश का दावा तत्काल करें। यदि बैंक को 31 जुलाई, 2023 तक कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो इन शेयरों को बिना किसी सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि भविष्य में ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।

कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को ट्रांसफर की गई अदावी लाभांश राशि और शेयरों से संबंधित किसी भी दावे के लिए बैंक जवाबदेह नहीं होगा।

18. आईईपीएफ को ट्रांसफर किए गए अदावी लाभांश/ शेयरों का दावा करना:

अदावी लाभांश के संबंध में जो पहले ही ट्रांसफर किए जा चुके हैं या ऐसे शेयर जिन्हें आईईपीएफ को ट्रांसफर किया जाना है, कृपया ध्यान दें कि आप आईईपीएफ की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ -5 में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके और फॉर्म आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बैंक को विधिवत हस्ताक्षरित उसकी एक भौतिक प्रति भेजकर आईईपीएफ से लाभांश राशि या शेयरों का दावा करने के हकदार हैं।

19. पिछले वर्ष के अदावी/ अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

शेयरधारकों से अनुरोध है कि यह ध्यानपूर्वक नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 में संशोधन के फलस्वरुप सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरुप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित करें।

उक्त "अदत्त लाभांश खाते" में अंतिरत राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अविध में शेष अदावी/ अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतिरत किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या कोष को प्रस्तुत नहीं किया जाए। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से आगे के अदत्त लाभांश के अंतरण हेतु भविष्य की नियत तारीख निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आईईपीएफ को अंतरित करने की निर्दिष्ट तारीख/ आरटीए या बैंक को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख				
		बैंक ऑफ़ बड़ौदा	पूर्ववर्ती विजया बैंक	पूर्ववर्ती देना बैंक		
1	2015-2016	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
2	2016-2017	06 अगस्त, 2024	29 जुलाई, 2024	लागू नहीं		
3	2017-2018	लागू नहीं	04 अगस्त, 2025	लागू नहीं		
4	2018-2019	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
5	2019-2020	लागू नहीं				
6	2020-2021	लागू नहीं				
7	2021-2022	27 जुलाई, 202 9				

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के लिए अर्थात् वित्त वर्ष 2015-16 से अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण नहीं कराया है उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:





केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड (यूनिट - बैंक ऑफ़ बड़ौदा) सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गाचीबोवली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032

ई-मेल: einward.ris@kfintech.com वेबसाइट: https://www.kfintech.com टोल फ्री नं. - 1-800-309-4001 निवेशक सेवाएं विभाग

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7 वां तल, बड़ौदा कॉपींरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)

मुंबई - 400 051

ई मेल :- investorservices@bankofbaroda.com

20. ऐसे शेयरधारक, जिनके ई-मेल पते डिपोजीटरी के पास या भौतिक फोलियो आरटीए के पास पंजीकृत नहीं हैं उनके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया:

एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुसार बैंक ने वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी अनुदेश को शेयर धारकों के पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रोनिक रूप में भेजा है। भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अपने ई-मेल पते को पंजीकृत करें.

- ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपने ईमेल पता एवं बैंक के विवरण सिहत मोबाइल नंबर को पंजीकृत किया /नहीं किया है वे ईलेक्ट्रोनिक रूप में शेयर धारित होने पर डिपोजीटरी साझेदार से और भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के रिजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड से संपर्क करें और अपने विवरणों को वैध /अद्यतन कराएं।
- शेयरधारक अस्थायी रूप से अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर को बैंक के रिजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को उपलब्ध कराकर इस लिंक https://ris.kfintech.com/ clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर क्लिक कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि ईमेल पते और मोबाइल नंबर को दर्ज करने के लिए दी गई प्रक्रिया का पालन करें तािक नोिटस और ई-वोिटंग संबंधी अनुदेशों की सॉफ्ट कॉपी के साथ-साथ यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जा सके। किसी भी प्रकार

की पूछताछ के लिए शेयरधारक einward.ris@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं।

- शेयर धारकों से यह अनुरोध भी है कि वे वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की नोटिस को डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट www. bankofbaroda.in या रिजस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट को विजिट करें।
- वैकल्पिक रूप से शेयरधारक वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेशों को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फोलियों के मामले में ईमेल पते, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन प्रति और क्लाईंट मास्टर प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति तथा भौतिक फोलियों के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति को ईमेल अनुरोध के माध्यम से einward.ris@kfintech.com पर भेज सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

of 16 - 15, 4.

संजीव चड्ढा

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

रथान: मुंबई

दिनांक: 29 मई 2023



व्याख्यात्मक विवरणः

मद संख्या 3: श्री संजीव चड्ढा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पुनः नियुक्ति का अनुमोदन करना (डीआईएन: 08368448)

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के अनुसरण में सार्वजिनक क्षेत्र की कंपनी को निदेशक मंडल में किसी सदस्य की नियुक्ति अथवा पुन:नियुक्ति हेतु अगली आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करना होता है। तदनुसार, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रुप में श्री संजीव चड्ढा की पुन:नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन वार्षिक आम बैठक में लिया जाना अपेक्षित है।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, के अनुच्छेद 8 के उप-अनुच्छेद (1) के साथ पिठत बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या एफ. नं. 4/3/2019-बीओ.आई दिनांक 20.01.2020 के माध्यम से श्री संजीव चड्ढा (जन्म तिथि: 25.06.1963) को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में 20 जनवरी 2020 से 19 जनवरी 2023 तक 03 वर्षों की अविध के लिए नियुक्त किया है।

इसी क्रम में, केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना ईएफ. नं. 4/4/2021-बीओ.। दिनांक 16.01.2023 के माध्यम से श्री संजीव चड्ढा का कार्यकाल उनकी वर्तमान अधिसूचित तीन वर्षों की नियुक्ति अवधि जो कि 19.01.2023 को समाप्त हो रही थी, को उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 30.06.2023 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढा दिया है।

संक्षिप्त प्रोफाइल:

श्री संजीव चड्ढा ने 20 जनवरी 2020 से बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद संभाला है, आपको बैंकिंग क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है, आपने अपने कॅरियर की शुरुआत वर्ष 1987 में भारतीय स्टेट बैंक से की थी।

श्री चड्ढा बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड तथा बॉब फाइनेंशियल सोल्यूशंस लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी अध्यक्ष हैं। आप नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी कार्यरत हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम) के शासी मंडल में भी हैं।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यदायित्व संभालने से पूर्व श्री चड्ढा एसबीआई की मर्चेंट और निवेश बैंकिंग इकाई एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ तथा एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड एवं एसबीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड के अध्यक्ष थे। श्री चड्ढा ने एसबीआई में 33 वर्षों तक कार्य किया है, जहां उन्होंने एसबीआई के यूके परिचालन में क्षेत्रीय प्रमुख, एसबीआई, लॉस एंजिलिस में सीईओ के साथ-साथ एसबीआई समूह के अध्यक्ष के कार्यपालक सचिव के रुप में विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन किया है।

श्री संजीव चड्ढा सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली के पूर्व छात्र हैं।

श्री संजीव चड्ढा को देय पारिश्रमिक/प्रतिफल भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है। श्री संजीव चड्ढा या उनके संबंधियों को छोड़कर बैंक के कोई भी निदेशक या उनके संबंधी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की नोटिस की मद संख्या 3 में निर्धारित सामान्य संकल्प से संबंधित नहीं हैं या उनका हित निहित नहीं है।

मद संख्या 4: श्री ललित त्यागी, कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन करना (डीआईएन: 08220977)

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के अनुसरण में सार्वजिनक क्षेत्र की कंपनी को निदेशक मंडल में किसी सदस्य की नियुक्ति अथवा पुन:नियुक्ति हेतु अगली आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करना होता है। तदनुसार, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री लिलत त्यागी की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन वार्षिक आम बैठक में लिया जाना अपेक्षित है।

बेंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना ईएफ. नं. 4/6/2021-बीओ. दिनांक 21.11.2022 के माध्यम से श्री लिलत त्यागी (जन्म तिथि: 14.06.1971) को 21 नवंबर 2022 से 20 नवंबर 2025 तक 03 वर्षों की अविध के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

संक्षिप्त प्रोफाइल:

श्री लितत त्यागी ने वर्ष 1996 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपना कॅरियर शुरू किया था। आपके पास वाणिज्यिक बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों विशेष रूप से कॉर्पोरेट वित्त, जोखिम प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और प्रशासनिक भूमिकाओं में कार्य करने का 26 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। आप एक फील्ड बैंकर रहे हैं, आपके पास भारत और विदेश में विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में काम करने का व्यापक अनुभव है, इसमें बैंक के विदेशी परिचालनों में दो कार्यकाल अर्थात् ब्रुसेल्स, बेल्जियम और न्यूयॉर्क, यूएसए शामिल हैं।

आपके पास बैंक की महत्वपूर्ण इकाइयों जैसे बेंगलुरू क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख, बैंक की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट वित्तीय सेवा शाखा, मुंबई के महाप्रबंधक और शाखा प्रमुख तथा बैंक की सबसे बड़ी विदेशी टेरीटरी यूएस परिचालन, न्यूयॉर्क के मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य कार्यपालक) के रूप में कार्य करने का सफल अनुभव है।

21 नवंबर 2022 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले आप बैंक के यूएस परिचालन, न्यूयॉर्क के मुख्य कार्यपालक थे। आपने कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल-केनरा बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) के निदेशक और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है।

श्री त्यागी अपने नेतृत्व और प्रेरणात्मक कौशल के लिए जाने जाते हैं।

आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम), पुणे से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस (पीजीडीबीएफ) हैं तथा आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं। आपको बैंक बोर्ड ब्यूरो (अब वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के रूप में जाना जाता है) द्वारा



भावी नेतृत्व भूमिकाओं के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकर के रूप में चुना गया है।

श्री ललित त्यागी को देय पारिश्रमिक/प्रतिफल भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है।

श्री लितत त्यागी या उनके संबंधियों को छोड़कर बैंक के कोई भी निदेशक या उनके संबंधी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की नोटिस की मद संख्या 4 में निर्धारित सामान्य संकल्प से संबंधित नहीं हैं या उनका हित निहित नहीं है।

मद संख्या 5: श्री मुकेश कुमार बंसल, गैर कार्यपालक निदेशक (भारत सरकार के नामित निदेशक) की नियुक्ति का अनुमोदन करना (डीआईएन: 03359724)

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के अनुसरण में सार्वजिनक क्षेत्र की कंपनी को निदेशक मंडल में किसी सदस्य की नियुक्ति अथवा पुन:नियुक्ति हेतु अगली आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करना होता है। तदनुसार, बैंक के गैर कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री मुकेश कुमार बंसल की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन वार्षिक आम बैठक में लिया जाना अपेक्षित है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना ईएफ. नं. 6/2/2022-बीओ. I दिनांक 15.12.2022 के माध्यम से श्री मुकेश कुमार बंसल (संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल में 15 दिसंबर 2022 से अगले आदेशों तक निदेशक के रूप में नामित किया है।

संक्षिप्त प्रोफाइल:

श्री मुकेश कुमार बंसल भारतीय प्रशासनिक सेवा (2005 बैच) के अधिकारी हैं। वे वर्तमान में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

श्री बंसल वाणिज्य में रनातक हैं और स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए से आपने एमबीए भी किया है। उन्होंने IGNOU से एम.ए (अर्थशास्त्र) की परीक्षा भी पास की है।

अक्तूबर, 2022 में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में अपनी पदस्थापना से पूर्व उन्होंने मार्च 2020 से अक्तूबर 2022 तक माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार के निजी सचिव के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की।

भारत सरकार के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति से पूर्व श्री बंसल ने अपने कैडर राज्य, छत्तीसगड़ में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। आपने जिला पंचायत, उत्तरी बस्तर कांकेर के सीईओ एवं नगर निगम, बिलासपुर के आयुक्त के तौर पर भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। आपने 2011 से 2017 तक तीन जिलों कबीरधाम, रायगढ़ एवं राजनांदगांव में कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्य किया। आप 2017 से 2018 तक माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विशेष सचिव थे, साथ ही इस दौरान आपने नया रायपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ का अतिरिक्त पदभार भी संभाला। इसके अलावा आपने कृषि, जनजातीय विकास, ग्रामीण उद्योग जैसे विभिन्न विभागों में विशेष सचिव के रूप में भी कार्य किया है।

बैंक द्वारा श्री मुकेश कुमार बंसल को कोई पारिश्रमिक/प्रतिफल देय नहीं है।

श्री मुकेश कुमार बंसल या उनके संबंधियों को छोड़कर बैंक के कोई भी निदेशक या उनके संबंधी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की नोटिस की मद संख्या 5 में निर्धारित सामान्य संकल्प से संबंधित नहीं हैं या उनका हित निहित नहीं है।

मद संख्या 6: श्री देबदत्त चाँद, कार्यपालक निदेशक की 01 जुलाई 2023 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन करना (डीआईएन: 07899346)

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के अनुसरण में सार्वजिनक क्षेत्र की कंपनी को निदेशक मंडल में किसी सदस्य की नियुक्ति अथवा पुन:नियुक्ति हेतु अगली आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करना होता है। तदनुसार, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री देबदत्त चाँद की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन वार्षिक आम बैठक में लिया जाना अपेक्षित है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 29.04.2023 के माध्यम से श्री देबदत्त चाँद (जन्म तिथि: 31.01.1971), कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा को दिनांक 01.07.2023 को या उसके पश्चात् अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अविध के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्री संजीव चड्ढा के स्थान पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

संक्षिप्त प्रोफाइलः

श्री देबदत्त चाँद को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और आपने दिनांक 10.03.2021 को पदभार ग्रहण किया।

कार्यपालक निदेशक के रूप में आप वर्तमान में कॉर्पोरेट और संस्थागत ऋण, ट्रेजरी और वैश्विक बाजार, मिड - कॉर्पोरेट कारोबार, कॉर्पोरेट और संस्थागत बैंकिंग तथा व्यापार एवं विदेशी मुद्रा की निगरानी कर रहे हैं। आपने बैंक में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कारोबार और अन्य कार्य यथा मानव संसाधन प्रबंधन, वित्त और आयोजना, जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा / निरीक्षण, ऋण निगरानी, संग्रहण, विधि, अनुपालन, शिक्षण एवं विकास, अनुशासनात्मक कार्यवाही, सूचना सुरक्षा, एस्टेट प्रबंधन और सुरक्षा, घरेलू अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम, धन संपदा प्रबंधन, पूंजी बाजार, एनआरआई कारोबार आदि जैसे कार्यों को भी संभाला है।

आपके पास वाणिज्यिक बैंक एवं विकास वित्त संस्थानों में कार्य करने का 28 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आपने वर्ष 1994 में इलाहाबाद बैंक में अधिकारी के रूप में अपने किरयर की शुरुआत की एवं उसके बाद लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में वर्ष 1998 से 2005 तक प्रबंधक के रूप में कार्य किया। आप वर्ष 2005 में मुख्य प्रबंधक के रूप में पंजाब नैशनल बैंक से जुड़े तथा आगे बढ़ते हुए मुख्य महाप्रबंधक के रूपर तक पहुंचे। बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य आरंभ करने से पहले, आप मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पीएनबी के मुंबई अंचल का नेतृत्व कर रहे थे। आपने पंजाब नैशनल बैंक में अंचल लेखा परीक्षा कार्यालय, पटना के प्रमुख, बरेली मंडल के प्रमुख, पंजाब नैशनल बैंक के एकीकृत ट्रेजरी परिचालन के प्रमुख के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया है।



श्री चाँद बी-टेक, एमबीए, सीएआईआईबी, इक्विटी रिसर्च में पीजी डिप्लोमा और सर्टिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजर के साथ एक क्वालिफाइड बैंकर हैं। बैंकिंग उद्योग में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान, श्री चाँद ने ट्रेजरी और बाजार जोखिम प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ कई लीडरिशप भूमिकाओं में परिचालन और स्ट्रेटेजिक बैंकिंग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विविध अनुभव प्राप्त किए हैं।

श्री चाँद बाँब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इंडिया इंफ्राडेट लिमिटेड, बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तांजानिया) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तुंगांडा) लिमिटेड और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी शामिल हैं। इससे पहले, पंजाब नैशनल बैंक में, आप

पीएनबी प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड, स्विफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं अनेक प्राइवेट इक्विटी फंड के बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स में भी शामिल रहे हैं।

श्री देबदत्त चाँद को देय पारिश्रमिक/प्रतिफल भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है।

श्री देबदत्त चाँद या उनके संबंधियों को छोड़कर बैंक के कोई भी निदेशक या उनके संबंधी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की नोटिस की मद संख्या 6 में निर्धारित सामान्य संकल्प से संबंधित नहीं हैं या उनका हित निहित नहीं है।



NOTICE OF 27th AGM

Bank of Baroda

Head Office: Alkapuri, Baroda-390 007

Corporate Office: Baroda Corporate Center, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051 (Website: www.bankofbaroda.co.in)

NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Friday, 07th July 2023 at 11.00 a.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item Number 1:

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2023, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2023, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item Number 2:

To approve and declare dividend for the Financial Year 2022-23.

SPECIAL BUSINESS:

Item Number 3:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the reappointment of Shri Sanjiv Chadha, as the Managing Director & CEO of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref. eF.no. 4/4/2021-BO.I dated 16th January 2023 issued by Government of India, from 20th January 2023 till the date of his superannuation i.e., on 30th June 2023 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved."

Item Number 4:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Lalit Tyagi, as an Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref eF.no. 4/6/2021-BO.I dated 21st November 2022 issued by Government of India, from 21st November 2022 till 20th November 2025 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved."

Item Number 5:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Mukesh Kumar Bansal, as a Non Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref eF.No. 6/2/2022-BO.I dated 15th December 2022 issued by Government of India, from 15th December 2022, until further orders, be and is hereby approved."

Item Number 6:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Debadatta Chand, as the Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification dated 29th April 2023 issued by Government of India, w.e.f. the date of assumption of office on or after 01st July 2023, or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved."

FOR BANK OF BARODA



Sanjiv Chadha Managing Director & CEO

Place: Mumbai Date: 29th May, 2023

NOTES:

- ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)
- MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide various circulars issued since May 2020 including the General Circular No. 02/2022 issued on 05th May 2022 and Circular No. 10/2022 dated 28th December 2022, permitted companies to hold their AGM through VC/OAVM by 30th September 2023. SEBI has also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide its Circular dated 05th January 2023.
- In compliance with the above guidelines, Annual General Meeting of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).
 The deemed venue for the 27th AGM shall be the Head Office of the Bank at Vadodara.
- 2. Appointment of Proxies and Authorised Representative(s):



As the Meeting is being held through VC / OAVM, the facility to the Shareholders to appoint proxy to attend and vote at the meeting is not available for this AGM.

However, No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been sent by email to v-raju.sv@kfintech.com / companysecretary.bcc@bankofbaroda.com not later than four days before the date of meeting i.e., on or before 4.00 p.m. on 02nd July 2023.

3. AGM Participation

The Bank has appointed KFin Technologies Limited (KFIN), Registrars and Transfer Agents (RTA), to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the AGM.

Pursuant to the provisions of the circulars of AGM on the $VC\ /\ OAVM$:

- a) Shareholders can attend the meeting through log in credentials provided to them to connect to Video Conferencing. Physical attendance of the Shareholders at the Meeting venue is not required.
- Appointment of proxy to attend and cast vote on behalf of the Shareholder is not available.
- Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.
- The Shareholders can join the AGM -15- minutes before the time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Upto 1000 Shareholders will be able to join on a FIFO basis to the AGM.
- There will no restrictions on account of FIFO entry into AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
- The attendance of the Shareholders (Shareholders logins) attending the AGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under the Bank of Baroda General (Shares and Meeting) Regulations, 1998.
- The Notice calling the AGM is being uploaded on the website of the Bank at <u>www.bankofbaroda.in</u>. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at <u>www.bseindia.com</u> and

<u>www.nseindia.com</u> respectively and is also available on the website of KFN, the e-voting agency at the website address <u>https://evoting.kfintech.com</u>

4. INSTRUCTIONS FOR THE SHAREHOLDERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING:

- Shareholder will be provided with a facility to attend the AGM through video conferencing platform provided by KFin. Shareholders may access the same at https://emeetings.kfintech.com. by clicking the Icon of "AGM-Video Conference & Streaming" by using the remote evoting credentials. Upon login, shareholders need to select respective event details and name of the Bank. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.
- Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops/Smart phones with Google Chrome/ Firefox for better experience.
- Further, Shareholders who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera, and hence use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration"
- Please note that Participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- Please note that, Shareholder's queries/views/questions will be responded to, only if, the shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date i.e., 30th June 2023. The "AGM Questions" window shall be activated from 10.00 AM on 04th July 2023 till 5.00 PM on 05th July 2023.
- Shareholders intending to speak and raise questions at the AGM, may log into https://evoting.kfintech.com and click on "Speaker Registration" by indicating the demat account number/folio number, city, email id, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the AGM meeting. Those shareholders who have registered themselves as speakers during 04th July 2023 to 05th July 2023, will only be allowed to express their views/ask questions.
- Shareholders who are not able to join this Meeting over video conferencing will be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-voting website of Kfintech at https://emeetings.kfintech.com using their remote e-voting credentials.



5. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM) and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

Cut-Off Date for remote e-voting and voting at the AGM - Closure of Register of Shareholders:

Pursuant to Regulation 12 of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2008, read with Regulations 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Saturday, 01st July 2023 to Friday, 07th July 2023 (both days inclusive) for the purpose of 27th Annual General Meeting and payment of dividend for the Financial Year 2022-23. Accordingly, the Shareholders holding Bank's Shares as on Friday, 30th June 2023 (Cut-off Date) will be able to attend and vote on the Agenda of the meeting either through remote e-voting or voting at the AGM and would also be entitled to receive dividends, if any for FY2022-23.

7. Payment of Dividend

The Board of Directors of the Bank at its meeting held on 16th May 2023 has recommended dividend @ ₹ 5.50 (Rupees Five and paise fifty only) per equity share of Rs.2/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March 2023. Dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 27th Annual General Meeting will be paid as under:

- a) To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as of the close of the business hours on 30th June 2023;
- To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank / Bank's RTA on or before the close of business hours on 30th June 2023;
- c) The dividend will be distributed to the eligible

- shareholders within 30 days from the date of the 27th Annual General Meeting.
- Applicable Tax will be deducted on Dividend Payment as per Income Tax guidelines.

8. Remote E-Voting

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

- The Bank has appointed KFIn as the remote e-voting agency to provide the e-voting platform.
- b) The Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on Tuesday, 04th July 2023 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Thursday, 06th July 2023 (both days inclusive).
- c) Remote e-voting is optional.

Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut – off Date i.e. Friday, 30th June 2022, may cast their vote electronically.

- d) The instructions for remote e-voting through RTA Portal (for Demat and Physical Shareholders) are as under:
- The Shareholders eligible to vote as on the aforesaid Cut-Off Date(s), to use the following URL for e-voting: https://evoting.kfintech.com on opening of the same on **04th July 2023** at 9.00 a.m.
- Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip annexed on this Notice.
- iii. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- iv. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- v. You need to login again with the new credentials.
- vi. On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., **Bank of Baroda**. On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the **Cut-off Date** (30th June 2023) will appear. Shareholder(s) will have option to vote for all the Resolutions in one go at the TOP by click on ASSENT



or DISSENT. Alternatively you may vote individually for each Resolution separately by clicking ASSSENT or DISSENT for each Resolution. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolutions.

- vii. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
- viii. The portal will close as aforesaid and the facility will be disabled immediately on the closure.
- ix. The Bank has appointed M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
- x. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/ JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@scrutinizer@scrutinizer.
- xi. Shareholders acquiring Shares between the Cut -Off Date for dispatch of the Notice for 27th AGM / Annual

Report 2022-23 and the Cut-Off Date for E-voting and have registered their e-mail IDs with their respective DP, shall be sent communication by RTA in this regard. Such other Shareholders may visit Bank's website to get the details.

xii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of https://evoting.kfintech. com or contact Mr. S.V. Raju, DVP / Mr. Shaibal Haripada Roy - AVP of Kfin Technologies Ltd, (Unit : Bank of Baroda), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500 032 at e-mail v-raju.sv@kfintech.com / shaibal.roy@kfintech.com at phone no. 1-800-309-4001 (toll free).

Login method for e-voting:

Applicable only for Individual members holding securities in Demat

As per the SEBI circular dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, Individual members holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Members are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Individual Members (holding securities in demat mode) login through Depository

Login method for Individual members holding securities in demat mode is given below:

NSDL	CDSL	
User already registered for IDeAS facility:	Existing user who have opted for Easi / Easiest	
I. URL: https://eservices.nsdl.com	I. URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or URL: www.cdslindia.com	
II. Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS' section.	II. Click on New System Myeasi	
III. On the new page, enter User ID and Password. Post	III. Login with user id and password.	
successful authentication, click on "Access to e-Voting" IV. Click on company name or e-Voting service provider	IV. Option will be made available to reach e-Voting page without	
and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.	V. Click on e-Voting service provider name to cast your vote.	
2. User not registered for IDeAS e-Services	2. User not registered for Easi/Easiest	
I. To register click on link : https://eservices.nsdl.com	Option to register is available at https://web.cdslindia.com/	
II. Select "Register Online for IDeAS"	myeasi/Registration/EasiRegistration	
III. Proceed with completing the required fields. User not registered for IDeAS e-Services	II. Proceed with completing the required fields.	
I. To register click on link : https://eservices.nsdl.com/ SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp		
II. Proceed with completing the required fields.		



NSDL		CDSL		
3	. By visiting the e-Voting website of NSDL	3.	By visiting the e-Voting website of CDSL	
I.	URL: https://www.evoting.nsdl.com/	I.	URL: www.cdslindia.com	
II	Click on the icon "Login" which is available under		II. Provide demat Account Number and PAN No.	
	'Shareholder/Member' section.	III.	System will authenticate user by sending OTP on registered	
II	. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.		Mobile & Email as recorded in the demat Account.	
			After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e- Voting is in progress.	
I/	//. Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting			
	page.			
V	Click on company name or e-Voting service provider			
	name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.			

Individual Members (holding securities in demat mode) login through their depository participants. You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option and you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.

Important note:

Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Members facing any technical issue - NSDL	Members facing any technical issue - CDSL	
Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 22-23058542-43.	

 Applicable for non-Individual members and members holding shares in physical form

Login method for non-individual members and members holding shares in physical form are given below: Procedure and Instructions for remote e-voting are as under:

- a. Initial password is provided in the body of the email.
- b. Launch internet browser and type the URL: https://evoting.kfintech.com in the address bar.
- Enter the login credentials i.e. User ID and password mentioned in your email. Your Folio No./DP ID Client ID will be your User ID. However, if you are already

- registered with KFin for e-voting, use your existing User ID and password for casting your votes.
- d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- e. You will reach the password change menu wherein you will be required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@,#,\$,etc.). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- f. You need to login again with the new credentials.
- g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e. Bank of Baroda
- h. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.
- Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/ demat account.
- j. Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm, else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote subsequently. During the voting period, you can login multiple times till you have confirmed that you have voted on the resolution.
- k. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (pdf/jpg format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together



with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at scrutinizer@snaco.net and may also upload the same in the e-voting module in their login.

9. VOTING PROCESS AT THE AGM

The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the AGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the AGM on the date of the meeting.

10. SCRUTINIZERS AT REMOTE E-VOTING / VOTING AT THE MEEETING

M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote evoting and e-voting in respect of the agenda items of the meeting.

11. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND VOTING AT THE MEEETING

The consolidated results of remote e-voting and voting at the AGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and Kfin.

12. CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:

- a) The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the Shareholders holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Shareholders.
- b) Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Kfin Technologies Limited, Hyderabad. Shareholders holding shares in

electronic form must register change in address with their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

- c) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- 13. FURNISHING OF PAN, NOMINATION, CONTACT DETAILS, BANK A/C DETAILS AND SPECIMEN SIGNATURE BY PHYSICAL SHAREHOLDERS

SEBI vide its Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16th March 2023 has advised following:

- It is mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers.
- The folios wherein any one of the above cited document/ details are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA.
- 3. The security holder(s) whose folio(s) have been frozen shall be eligible (1) to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing the complete documents / details as mentioned in above para 1. (2) for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such frozen folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024.
- Frozen folios will be referred by the RTA / Bank to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on December 31, 2025.

14. CONTACT DETAILS FOR SHAREHOLDERS

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Bank of Baroda, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

KFin Technologies Ltd.,

Unit: Bank of Baroda, Selenium Building, Tower-B,

Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally,

Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032.

Email: einward.ris@kfintech.com

Toll Free/ Phone Number : 1800 309 4001 **WhatsApp Number :** (91) 910 009 4099

KPRISM (Mobile Application) : https://kprism.kfintech.com/ **KFINTECH Corporate Website :** https://www.kfintech.com

RTA Website: https://ris.kfintech.com

Investor Support Centre (DIY Link) : https://ris.kfintech.com/

clientservices/isc

Bank of Baroda

Investor Services Department, 7th floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block Bandra Kurla Complex

Bandra (East) Mumbai 400 051

Tel.: 022-6698 5731 / 5743

General Number: 022-6698 5000-04 (PBX)
E-Mail:investorservices@bankofbaroda.com
Shareholder's corner section on Bank's Website:

https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/



15. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

- SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019
 has decided that except in case of transmission or
 transposition of securities, requests for effecting transfer
 of securities shall not be processed unless the securities
 are held in dematerialized form with a depository w.e.f.
 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to
 kindly Demat their physical holding immediately.
- In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.
- Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD_ RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only.

In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares.

Major advantages of holding the shares in Demat form are as follows:

- Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;
- Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;
- iii. Dematerialization provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.

16. PROCESS FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES IN PHYSICAL FORM:

Following is the dematerialization process in case there is no change in details of existing share certificates:

A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:

The shareholder(s) is/are required to approach nearby Bank of Baroda Branch or any other Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in Bank of Baroda.

After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

B. For shareholders already having a Demat account:

The shareholder (s) who are already having the Demat

Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in Bank of Baroda. If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).

If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.

In case there is change in details of existing share certificates, kindly contact our RTA i.e. KFin Technologies Ltd or Bank at address mentioned in point 14.

17. TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TO IEPF

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto ("the Rules"), all unclaimed dividends are required to be transferred by the Bank to Investor Education Protection Fund (IEPF) established by Central Government, after the expiry of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account. Further, pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with Office Memorandum (OM) F. No. 13/2/2015-BO.II dated 29th October, 2021 issued by Department of Financial Services (DFS), all the shares in respect of which dividend has remained unpaid / unclaimed for seven consecutive years or more and have been transferred to IEPF are also liable for transfer to IEPF.

In compliance thereof, the Bank is required to transfer unclaimed shares to IEPF of those shareholders who have not claimed dividend for past seven years and more to IEPF. Bank has already transferred unclaimed dividend upto FY2014-15 to IEPF.

The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website at https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend and that of KFin at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx

We request those shareholders to claim their unpaid dividend immediately by furnishing requisite documents. In case Bank does not receive any claim by 31st July 2023, these shares will be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority without any further notice.

Please note that all benefits accruing on such shares in future shall also be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority.



Please note that no claim shall lie against the Bank in respect of the unclaimed dividend amount and shares so transferred to IEPF.

18. CLAIMING OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TRANSFERED TO IEPF:

With regard to the unclaimed dividend that has already been transferred or the shares which are to be transferred to IEPF, kindly note that you are entitled to claim the dividend amount or the shares from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the same duly signed to the Bank along with requisite documents enumerated in the Form IEPF- 5.

19. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY OF PREVIOUS YEARS:

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and

Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2014-15 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2015-16 onwards, the details about future due dates for transfer are given below:

Sr.	Financial Year	Due Dates for Transfer to IEPF/Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank				
No		Bank of Baroda	eVijaya Bank	eDena bank		
1	2015-2016	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable		
2	2016-2017	06th August, 2024	29th July 2024	Not Applicable		
3	2017-2018	Not Applicable	04th August 2025	Not Applicable		
4	2018-2019	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable		
5	2019-2020	Not Applicable				
6	2020-2021	Not Applicable				
7	2021-2022	27 th July 2029				

The Shareholders who have not en-cashed their dividend warrants for the previous years, i.e. from FY 2015-16 onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address:

KFin Technologies Ltd.

(Unit :- Bank of Baroda)

Selenium Tower B, Plot No 31 & 32 Gachibowli,

Financial District, Nanakramguda, Serilingampally

Mandal, Hyderabad - 500 032

Email id - einward.ris@kfintech.com

Website: https://www.kfintech.com

Toll free number - 1- 800-309-4001

Investors' Services Department

Bank of Baroda, 7th Floor,

Baroda Corporate Centre,

C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex,

Bandra (E)

Mumbai - 400 051.

E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

20. PROCEDURE FOR OBTAINING THE ANNUAL REPORT, AGM NOTICE AND E-VOTING INSTRUCTIONS BY THE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES OR WITH RTA ON PHYSICAL FOLIOS:

In terms of the MCA and SEBI Circulars, the Bank has sent the Annual Report, Notice of AGM and e-Voting instructions in electronic form to the registered email addresses of the shareholders. Shareholders holding shares in Physical form are requested to register their email address by following the procedure given below:

- Those shareholders who have registered/not registered their mail address and mobile nos including address and bank details may please contact and validate/update their details with the Depository Participant in case of shares held in electronic form and with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited in case the shares held in physical form.
- Shareholders may temporarily get their email address and mobile number provided with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, by clicking the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileerg/mobileemailreg.aspx for sending the same.



Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.

- Shareholders are also requested to visit the website of the Bank at www.bankofbaroda.in or the website of the Registrar and Transfer Agent for downloading the Annual Report and Notice of the AGM.
- Alternatively, Shareholder may send an e-mail request at the email id <u>einward.ris@kfintech.com</u> along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-

attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of AGM and the e-voting instructions.

By Order of the Board of Directors

FOR BANK OF BARODA

1m

Sanjiv Chadha Managing Director & CEO

Place: Mumbai Date: 29th May, 2023



EXPLANATORY STATEMENT:

Item Number 3: To approve re-appointment of Shri Sanjiv Chadha, Managing Director & CEO (DIN: 08368448):

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for re-appointment of Shri Sanjiv Chadha as the Managing Director & Chief Executive Director of the Bank.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government vide its notification no. F. No. 4/3/2019-BO.I dated 20.01.2020 has appointed Shri Sanjiv Chadha (Date of Birth: 25.6.1963) as the Managing Director & CEO on Board of Bank of Baroda for a period of three years w.e.f. 20th January 2020 till 19th January 2023.

Further, Central Government vide its notification eF.no. 4/4/2021-BO.I dated 16.01.2023 has extended the term of office of Shri Sanjiv Chadha for a further period beyond his currently notified period of appointment of three years that expires on 19.01.2023, till the date of his superannuation i.e. 30.06.2023, or until further orders, whichever is earlier.

Brief Profile:

Shri Sanjiv Chadha, Managing Director & CEO of Bank of Baroda since 20th January 2020 has over 35 years' experience in banking & financial services having started his career with SBI in 1987.

Shri Chadha is also Chairman on the boards of Bank of Baroda (UK) Ltd., IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd., BOB Capital Markets Ltd. & BOB Financial Solutions Ltd. He also serves on the board of National Insurance Co. Ltd & is on the Governing Board of National Institute of Bank Management (NIBM).

Prior to joining Bank of Baroda, Shri Chadha was the MD & CEO of SBI Capital Markets Ltd., the Merchant and Investment Banking arm of SBI, and Chairman of SBICAP Ventures Ltd. and SBI Securities Ltd. Shri Chadha spent 33 years at SBI, where he handled a diverse range of roles including the Regional Head for SBI's UK Operations, CEO of SBI Los Angeles as well as Executive Secretary to the Chairman of the SBI Group.

Shri Sanjiv Chadha is an alumnus of St. Stephen's College, Delhi.

Remuneration / Compensation payable to Shri Sanjiv Chadha is as per guidelines issued by Government of India.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Sanjiv Chadha or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 3 of the accompanying Notice of AGM.

Item Number 4: To approve appointment of Shri Lalit Tyagi, Executive Director (DIN: 08220977)

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations,

2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Lalit Tyagi, as an Executive Director of the Bank.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government vide its notification eF.no. 4/6/2021-BO.I dated 21.11.2022 has appointed Shri Lalit Tyagi (DoB: 14.06.1971), as Executive Director of Bank of Baroda for a period of three years w.e.f. 21st November 2022 till 20th November 2025 or until further orders, whichever is earlier.

Brief Profile:

Shri Lalit Tyagi, having started his career as Probationary Officer in Bank of Baroda in 1996, has over 26 years of rich experience in various spectrum of commercial banking, particularly in Corporate Finance, Risk Management, International Banking and Administrative Roles. He has been a field banker having vast experience of working in different branches / offices in India and abroad, including two stints in Bank's overseas operations; viz. Brussels, Belgium and New York, USA.

He has successful experience of leading Bank's important units such as Regional Head of Bangalore Region, General Manager & Branch Head of Bank's largest Corporate Financial Services Branch, Mumbai and Chief General Manager (Chief Executive) of Bank's largest overseas territory US Operations, New York.

Prior to his appointment as Executive Director of Bank of Baroda on 21st November 2022, he was the Chief Executive of Bank's US Operations, New York. He has also served as Director in Canbank Computer Services Ltd. (CCSL – a wholly owned subsidiary of Canara Bank) and Non-Executive Chairman of Bank of Baroda (Guyana) Inc.

Shri Tyagi is known for his leadership and motivational skills.

He has Post Graduate Diploma in Banking & Finance (PGDBF) from National Institute of Bank Management (NIBM), Pune and is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He has been identified as one of Public Sector Bankers by Bank's Board Bureau (now known as Financial Services Institutions Bureau) for future leadership roles.

Remuneration / Compensation payable to Shri Lalit Tyagi is as per guidelines issued by Government of India.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Lalit Tyagi or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 4 of the accompanying Notice of AGM

Item Number 5: To approve appointment of Shri Mukesh Kumar Bansal, Non-Executive Director (Government of India's Nominee Director) (DIN: 03359724)

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a



person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Mukesh Kumar Bansal, as a Non-Executive Director of the Bank.

In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government, vide notification eF.No. 6/2/2022-BO.I dated 15.12.2022 has nominated Shri Mukesh Kumar Bansal (Joint Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Bank of Baroda, w.e.f. 15th December 2022 until further orders.

Brief Profile:

Shri Mukesh Kumar Bansal is an officer of Indian Administrative Service (2005 batch). He is presently working as Joint Secretary in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

Shri Bansal is a Commerce graduate and also an MBA from the Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA. He has also completed his MA Economics from IGNOU.

Prior to his posting as Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance in October, 2022 he worked as Private Secretary to Hon'ble Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India, from March, 2020 to October, 2022.

Before being deputed to the Government of India, Shri Bansal held various key positions in his Cadre State of Chattisgarh. He had worked as CEO, Zila Panchayat, North Bastar Kanker, Commissioner Municipal Corporation, Bilaspur. He worked as Collector & District Magistrate in three districts namely Kabirdham, Raigarh & Rajnandgaon from 2011 to 2017. He was Special Secretary to Honble Chief Minister Chhattisgarh from 2017 to 2018 and at that time he also held additional post of CEO, Naya Raipur Development Authority. He had also worked in different departments namely Agriculture, Tribal Development, Rural Industries as Special Secretary.

No Remuneration / Compensation is payable to Shri Mukesh Kumar Bansal by the Bank

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Mukesh Kumar Bansal or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 5 of the accompanying Notice of AGM.

Item Number 6: To approve appointment of Shri Debadatta Chand, Executive Director as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank w.e.f. 01st July 2023 (DIN: 07899346)

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Debadatta Chand, as the Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide notification dated 29.04.2023, Central Government has appointed Shri Debadatta Chand (DoB: 31.01.1971), Executive Director, Bank of Baroda as Managing Director and Chief Executive Officer, Bank of Baroda for a period of three years with effect from the date of assumption of office on or after 01.07.2023, or until further orders, whichever is earlier, vice Shri Sanjiv Chadha.

Brief Profile:

Shri Debadatta Chand was appointed Executive Director of Bank of Baroda and assumed charge on 10.03.2021.

As Executive Director, he currently oversees Corporate & Institutional Credit, Treasury & Global Markets, Mid-Corporate Business, Corporate & Institutional Banking and Trade & Foreign exchange. He had also handled the International Banking Business and other functions such as HRM, Finance & Planning, Risk Management, Audit/Inspection, Credit Monitoring, Collections, Legal, Compliance, Learning & Development, Disciplinary Proceedings, Information Security, Estate Management & Security, Domestic Subsidiaries/ Joint Ventures, Wealth Management, Capital Markets, NRI Business etc. in the Bank.

He has over 28 years of experience in Commercial Banks and Developmental Financial Institutions. He started his career in Allahabad Bank in 1994 as an Officer and subsequently worked as a Manager in Small Industries Development Bank of India [SIDBI] from 1998 to 2005. He joined Punjab National Bank (PNB) in the year 2005 as Chief Manager and rose to the level of Chief General Manager. Prior to joining Bank of Baroda as an Executive Director, he was heading Mumbai Zone of PNB as Chief General Manager. He has also successfully handled responsibilities such as Head of Zonal Audit Office, Patna, Circle Head of Bareilly Region, Head of Integrated Treasury Operations at Punjab National Bank.

Shri Chand is a B.Tech, MBA, CAIIB qualified Banker with a PG Diploma in Equity Research and a Certified Portfolio Manager. During his long stint in the banking Industry, Shri Chand has gained varied exposure in all the important spheres of operational and strategic banking with many leadership roles with specialisation in Treasury and Market Risk Management.

Shri Chand is also on the Board of BOB Capital Markets Ltd., India Infradebt Limited, Baroda Financial Solutions Limited, Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., Bank of Baroda (Uganda) Ltd. and Bank of Baroda (Kenya) Ltd. Earlier, when at Punjab National Bank, he was a Member on the Boards of PNB Principal Mutual Fund, SWIFT India Pvt. Ltd and was also on the Board of Governors of many Private Equity funds.

Remuneration / Compensation payable to Shri Debadatta Chand is as per guidelines issued by Government of India.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Debadatta Chand or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 6 of the accompanying Notice of AGM.